

राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, एनएचएम
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

F.20(254)/NHM/HRD/PIP 2024-26/DDC-DEO/2024/ 1721

Date: 17/10/24

संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

भारत सरकार से स्वीकृत पीआईपी वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में FMR code HSS.9/HRH/S.N.185/Remuneration for all NHM HR के अंतर्गत प्राप्त बजट स्वीकृति अनुसार जिलों में औषधी नियंत्रक अधिकारी (Drug Controller) कार्यालय में संविदा Data Entry Operator पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 69.51 लाख (In words: Rupees Sixty Nine Lakh and Fifty One Thousand) तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 72.95 लाख (In words: Rupees Seventy Two Lakh and Ninety Five Thousand) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, जिला स्वास्थ्य समितियों को एतद द्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 1369 दिनांक 08.08.2024 को प्रत्याहारित कर जारी की जाती हैं।

वर्णित स्वीकृति में कार्मिकों (संविदा/संवेदक) की संख्या तथा मानदेय भुगतान हेतु आवंटित राशि (स्नउ नउ) की अधिकतम सीमा अंकित है। जिलेवार आवंटन निम्नानुसार है:-

(Amount Lumpsum in Lakh)					
S.No.	Name of District Health Society	Name of Institution/Facility	Total No. of Sanctioned Staff / Units	Total Sanctioned Amount For FY 2024-25 @Rs. 13150/- PM	Total Sanctioned Amount For FY 2025-26 @Rs. 13808/- PM
1.	Ajmer	DCO,Ajmer	2	3.16	3.31
2.	Alwar	DCO,Alwar	1	1.58	1.66
3.	Banswara	DCO,Banswara	1	1.58	1.66
4.	Barmer	DCO,Barmer	1	1.58	1.66
5.	Baran	DCO,Baran	1	1.58	1.66
6.	Bharatpur	DCO,Bharatpur	2	3.16	3.31
7.	Bhilwara	DCO,Bhilwara	1	1.58	1.66
8.	Bikaner	DCO,Bikaner	2	3.16	3.31
9.	Bundi	DCO,Bundi	1	1.58	1.66
10.	Chittorgarh	DCO,Chittorgarh	1	1.58	1.66
11.	Churu	DCO,Churu	1	1.58	1.66

Signature valid



Digitally signed by Bharti Dixit
Designation: Mission Director
Date: 2024.10.15 20:01:01 IST
Reason: Approved

(Amount Lumpsum in Lakh)					
S.No.	Name of District Health Society	Name of Institution/Facility	Total No. of Sanctioned Staff / Units	Total Sanctioned Amount For FY 2024-25 @ Rs. 13150/- PM	Total Sanctioned Amount For FY 2025-26 @ Rs. 13808/- PM
12.	Dausa	DCO,Dausa	1	1.58	1.66
13.	Dholpur	DCO,Dholpur	1	1.58	1.66
14.	Dungarpur	DCO,Dungarpur	1	1.58	1.66
15.	Hanumangarh	DCO,Hanumangarh	1	1.58	1.66
16.	Jaipur (Jaipur-I)	DCO, Jaipur-I	3	4.73	4.97
		Drug Testing Laboratory, Jaipur	2	3.16	3.31
17.	Jaisalmer	DCO,Jaisalmer	1	1.58	1.66
18.	Jalore	DCO,Jalore	1	1.58	1.66
19.	Jhalawar	DCO,Jhalawar	1	1.58	1.66
20.	Jhunjhunu	DCO,Jhunjhunu	1	1.58	1.66
21.	Jodhpur	DCO,Jodhpur	2	3.16	3.31
22.	Karauli	DCO,Karauli	1	1.58	1.66
23.	Kota	DCO,Kota	2	3.16	3.31
24.	Nagaur	DCO,Nagaur	1	1.58	1.66
25.	Pali	DCO,Pali	1	1.58	1.66
26.	Pratapgarh	DCO,Pratapgarh	1	1.58	1.66
27.	Rajsamand	DCO,Rajsamand	1	1.58	1.66
28.	Sawai Madhopur	DCO,Sawai Madhopur	1	1.58	1.66
29.	Sikar	DCO,Sikar	1	1.58	1.66
30.	Sirohi	DCO,Sirohi	1	1.58	1.66

Signature valid

Digitally signed by Bharti Dixit
Designation: Mission Director
Date: 2024.10.15 20:01:01 IST
Reason: Approved

(Amount Lumpsum in Lakh)					
S.No.	Name of District Health Society	Name of Institution/Facility	Total No. of Sanctioned Staff / Units	Total Sanctioned Amount For FY 2024-25 @Rs. 13150/- PM	Total Sanctioned Amount For FY 2025-26 @Rs. 13808/- PM
31.	Sri Ganganagar	DCO, Sri Ganganagar	2	3.16	3.31
32.	Tonk	DCO, Tonk	1	1.58	1.66
33.	Udaipur	DCO, Udaipur	2	3.16	3.31
Total:			44	69.51	72.95

उक्त व्यय NHM Flexible pool में उपलब्ध वित्तीय सीमा एवं एफएमआर में सम्बंधित बजट मद में बुक किया जान सुनिश्चित करें।

स्वीकृत मानव संसाधनों के मानदेय भुगतान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में मानदेय के साथ कार्यरत कार्मिकों (सीधे अनुबंधित) हेतु 05 प्रतिशत मानदेय अभिवृद्धि का बजट भी सम्मिलित है। मानदेय अभिवृद्धि वार्षिक कार्य मुल्यांकन में नियन्त्रण अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी पर लिये गये निर्णय/दिशानिर्देश के अनुसार लागू होगी।
2. स्वीकृत पदों के विरुद्ध यदि सेवाप्रदाता एजेन्सी (Outsourcing) के जरिये संविदा कार्मिकों की सेवाएँ विगत वित्तीय वर्ष की निरन्तरता में प्राप्त की जा रही है तो इस स्थिति में सेवाप्रदाताओं को भुगतान भर्ती प्रक्रिया से चयनित कार्मिकों के पदस्थापन होने तक की अवधि (वित्तीय वर्ष में) के लिये अनुमत होगा।
3. कार्यरत संविदा कार्मिकों को स्वीकृत मासिक मानदेय दर से अधिक राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे अन्यथा जिले में किसी भी संविदा कार्मिक को किये गये अधिक भुगतान के लिये संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
4. किसी भी नवनियुक्त संविदा कार्मिक को संबंधित केडर के लिये निर्धारित मूल मानदेय (Base Honorarium) की दर से ही भुगतान किया जावे तथा उसकी कार्यग्रहण तिथि से आगामी 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार की मानदेय वृद्धि स्वीकृत नहीं की जावे।
5. संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के साथ स्टेट हैल्थ सोसायटी को प्रेषित करना होगा।

(डॉ. भारती दीक्षित)
मिशन निदेशक एनएचएम
एवं संयुक्त शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

Signature valid

Digitally signed by Bharti Dixit
Designation: Mission Director
Date: 2024.10.15 20:01:01 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
3. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएच) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक (वित्त) एनएचएम, जयपुर।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
7. औषधि नियंत्रक, ड्रग कंट्रोल विभाग, राजस्थान।
8. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, समस्त जोन, राजस्थान।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त जिले।
11. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते ई-मेल।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Bharti Dixit
Designation: Mission Director
Date: 2024.10.15 22:01:01 IST
Reason: Approved